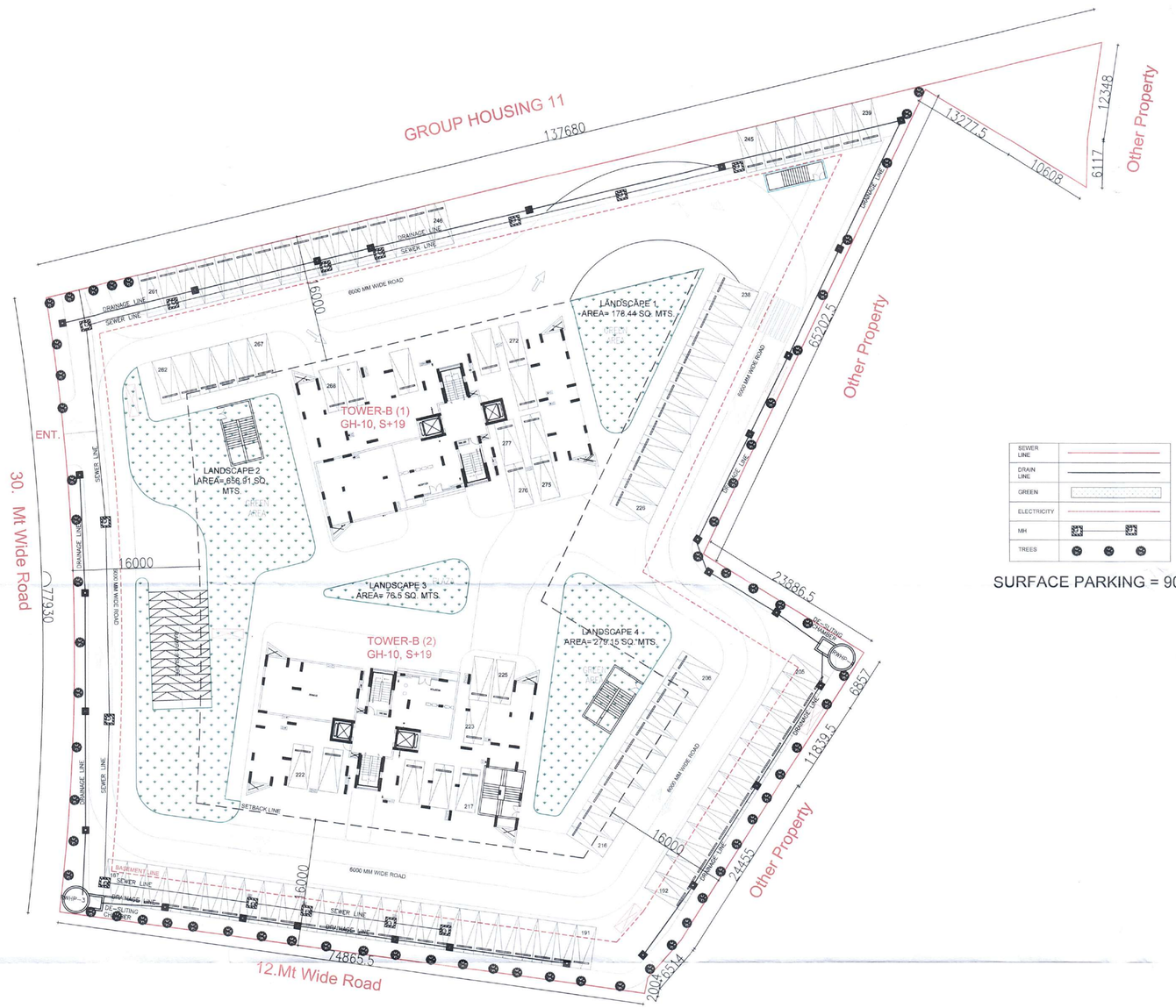

SURFACE PARKING = 90

प्रतिबन्ध

1. भू–स्वामित्व तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नही होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के चित्र खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता द्वारा तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नही करेगा जब तक कि उक्त भाग का पूर्वावंटन/आंवटन/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
2. वर्णित शासनादेश के क्रम मे सैन्ड स्क्रीनिंग प्लान के अनुसार सुधारीकरण अनिवार्य होगा।
3. शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्प विरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
4. स्ट्रक्चरल ड्राइंग व डिजाइन, प्रमाण पत्र, आई.डी.टी. लखनऊ के विधित इन्जीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एम०जेड० खान द्वारा पत्रांक IET/CE/MZK-C&T /2020-3919 Date- 03rd February 2020 के माध्यम से पैनल कराकर प्रस्तुत किया गया है, नियमों अनुपालन करना होगा।
5. लैण्ड स्केपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होगे।
6. अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति पत्रांक संख्या–यू.पी.एफ.एस./2020/16786/एस.सी.के/लखनऊ/1079/डी.जी. दिनांक 05.02.2020 के क्रम में नियमों का नियमानुसार पालन करना होगा।
7. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
8. रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
9. लेबर एक्ट का अनुपालन करना होगा।
10. स्थल पर सार्वजनिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।
11. स्थल पर मानचित्र स्वीकृत पात्रकी सूचनापट लगाना होगा।
12. यदि कोई रेनदादी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर अनिवार्य जमा करना होगा।
13. यदि भविष्य मे ऐसी कोई बात प्रकाश मे आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नही किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
14. स्थल पर खनन का कार्य किये जाने हेतु खान स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा
15. एण्टीनी के डिटेल का पालन करना होगा।

नोट: मानचित्र स्वीकृत करते समय सेवर और विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 15 के अनुसार इस प्रमाणित सहित संलग्न किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विस्तरण के लिए विद्युत कार्य नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र, लखनऊ
स्वीकृत
परमिट संख्या MAP-2019/20/20711677-
दिनांक 11-12-2019-
स्वीकृत की तिथि तक 10-12-2021-
अधिशासी अभियन्ता

SEWER LINE	
DRAIN LINE	
GREEN	
ELECTRICITY	
MH	
TREES	

CALCULATION OF LANDSCAPE GREEN

SL.NO.	DESCRIPTION	NO.		AREA IN SQ-MT.		TOTAL AREA IN SQ-MT.
1	L-1	1	X	178.44	=	178.44
2	L-2	1	X	656.91	=	656.91
3	L-3	1	X	76.50	=	76.50
4	L-4	1	X	279.15	=	279.15
TOTAL					=	1191.00

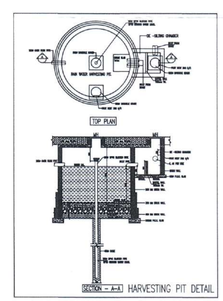

PROJECT TITLE:

PROPOSED GROUP HOUSING-10
SITUATED AT INTEGRATED TOWNSHIP
SHALIMAR ONEWORLD
AT BAGHAMAU VILLAGE ,LUCKNOW

KEYPLAN:

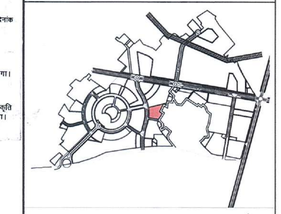

KHASRA NO:-
306P,308P,310P,311P,312P,314P,
315KA P,315KHA P,316P

SUBMISSION DRAWING

NORTH:

NOTE:

DRAWING TITLE:

LANDSCAPE PLAN / SERVICES PLAN/SURFACE PARKING

SCALE	1:300	DATE	03-10-19
DRAWN		CHECKED	
PAPER		ISSUED	

CLIENT & DEVELOPER:

M/S. ANS Developers Pvt. Ltd.
(Lead Member of Consortium of ANS Constructions Ltd.)
Regd. Office: 308, Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai- 400021.

DESIGN ARCHITECT:

PLUMBING & FIRE:

M/s. Techno Engineering Consultants
Pocket-A, 30 D, Siddartha Extension
New Delhi - 110014
Phone No. - 91-11-25344668

ARCHITECT:

AR. ANJALI UPADHYAY
CA/2017/81305

OWNER:

For ANS Developers (P) Ltd.
Director

D NO.	GH-10-03	S NO.	03/05

SEWER LINE	
DRAIN LINE	
GREEN	
ELECTRICITY	
MH	
TREES	

SURFACE PARKING = 105

CALCULATION OF LANDSCAPE GREEN

SL.NO.	DESCRIPTION	NO.		AREA IN SQ-MT.		TOTAL AREA IN SQ-MT.
1	L-1	1	X	157.35	=	157.35
2	L-2	1	X	105.50	=	105.50
3	L-3	1	X	53.17	=	53.17
4	L-4	1	X	116.74	=	116.74
5	L-5	1	X	126.12	=	126.12
6	L-6	1	X	41.46	=	41.46
7	L-7	1	X	116.78	=	116.78
8	L-8	1	X	204.95	=	204.95
9	L-9	1	X	263.20	=	263.20
10	L-10	1	X	146.14	=	146.14
11	L-11	1	X	392.64	=	392.64
12	L-12	1	X	205.55	=	205.55
13	L-13	1	X	28.27	=	28.27
14	L-14	1	X	272.08	=	272.08
15	L-15	1	X	443.91	=	443.91
					=	
					=	
TOTAL					=	2673.86

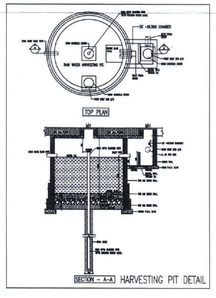

प्रतिबन्ध

1 भू–स्वामित्व तथा भूमि क्रय–विक्रय के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के जिस खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता एवं उसा कोई निर्माण या विक्रय कार्य नहीं करेगा यह तक कि उस भाग का पुनर्वास/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।

2 मानचित्र शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्कैपिंग प्लान के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।

3 शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्प रोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

4 भूउपयोग प्रमाण व विन्यास, प्रमाण पत्र, आई.ई.ए. लखनऊ के जिनिव इन्वीरोमेंटल रिपोर्ट के प्रोसेस एम्प्लाइज़ खान द्वारा पत्रांक IET/CE/MZK-C&T /2020-3918 Date- 03rd February 2020 के माध्यम से रैट कवाइर प्रस्तुत किया गया है, जिसका अनुपालन करना होगा।

5 लैण्ड स्कैपिंग प्लान व सार्वजनिक प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।

6 अग्नि शमन विभाग की अग्नशमि पत्रांक संख्या–यू.पी.एफ.एस/2020/1739/एस.टी.बी/लखनऊ/1161/डी.जी. दिनांक 12.03.2019 व 16.03.2019 के क्रम में निर्गत्त का निबन्धनुसार पालन करना होगा।

7 पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

8 रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सौवर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।

9 सेवा एक्ट का अनुपालन करना होगा।

10 स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।

11 स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट्ट लगाना होगा।

12 यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।

13 यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

14 स्थल पर खनन का कार्य किये जाने हेतु स्थान स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

15 एम0पी0टी0 के निर्देशों का पालन करना होगा।

भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि निकाय प्राधिकरण भूमि विवाद स्वीकार के लिए जिम्मेदार नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकारी
परमिट संख्या MAP-2019/205/057403450
दिनांक 11-12-2019
स्वीकृत की वैधता दि. 10-12-2024
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

PROJECT TITLE:

PROPOSED GROUP HOUSING-11 SITUATED AT INTEGRATED TOWNSHIP SHALIMAR ONEWORLD AT BAGHAMAU VILLAGE ,LUCKNOW

KEYPLAN:

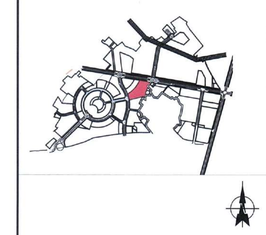

KHASRA NO:-
304P,306P,312P,313P,314P,315KA P, 315KH P,316 P,317KA P, (317KH P-LAND ACQ. PROP.),318,319, 320P,321KA P, 321KHA P, 321GA P, 324KA P, 324KHA P.

SUBMISSION DRAWING

NORTH:

NOTE:

DRAWING TITLE:

LANDSCAPE PLAN / SERVICES PLAN / PARKING PLAN

SCALE	1:350	DATE	03-10-19
DRAWN		CHECKED	
PAPER		ISSUED	

CLIENT & DEVELOPER:

M/S. ANS Developers Pvt. Ltd.
(Lead Member of Consortium of ANS Constructions Ltd.)
Regd. Office: 308, Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai- 400021.

DESIGN ARCHITECT:

PLUMBING & FIRE:

M/s. Techno Engineering Consultants
Pocket-A, 30 D, Siddartha Extension
New Delhi - 110014
Phone No. - 91-11-26344668

ARCHITECT:

AR. ANJALI UPADHYAY
CA/2017/81305

OWNER:

For ANS Developers (P) Ltd.
Director

D NO.	GH-11-03	S NO.	03/08